06.12.2019	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनो को दौहराते हुवे निवेदन किया कि वादगत भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 एवं भींयाराम की संयुक्त खोतदारी कृषि भूमि है। एवं खेत के चारो तरफ की तारबन्दी की हुई है। जिसमें किसी भी हिस्सेदार का कोई स्पेशिक पोर्सन पर कब्जा काश्त नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 स्टेन्जर परचैजर है तथा उसका वादगत भूमि में कोई कब्जा काश्त नहीं है। अब तक विधिवत कोई विभाजन नहीं हुआ है परन्तु फिर भी अप्रार्थी सं. 1 गलत बयानी करके संयुक्त खाते की भूमि के खसरा नम्बर 45 की भूमि जबरन प्रवेश करके कब्जा करने की कोशिश में है जबकि जब तक विभाजन नहीं हो जावे तब तक स्टेन्जर परचैजर को कब्जा करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है । मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 का वादगत भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसका ज्ञान अप्रार्थी सं. 1 को होते हुए भी बिना अन्य को–टीनेन्ट की सहमति लिये जबरन कब्जा करने की कोशिश में है। जिसे रोकने हेतु वाद चिर निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुवे निवेदन किया कि वादगत भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है तथा अप्रार्थी सं. 1 वादगत भूमि का रिकार्डेड खातेदार है कानुनन रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस के कथनो पर मनन किया, जिससे पाया गया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही **जांगलू** के खेत खसरा नम्बर 32 तादादी 5.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 तादादी 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 45 तादादी 20.18 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल तादादी 25.58 हैक्टेयर भूमि में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है अगर चिर निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण का अपूर्णिय क्षति हो सकती है। अतः इस पत्रावली में दिनांक 28.4.2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ता–फैसला दावा तक पुष्टि (Confirm) की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलाश सुनाया गया। 6/12/19 (रमेश देव) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.01.23 17:19:06 IST
Reason: SelfAttested